सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 29, बुधवार, *शाके* 1947- फरवरी 18, 2026

Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थानए जयपुर

;खण्ड़-गढ़ी, जिला-बांसवाड़ा)

अधिसूचना

बांसवाड़ा, फरवरी 10, 2026

;अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 20419897 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापनन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार बांसवाड़ा जिले में माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनो जिलों को जोडने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पुल एवं सड़क निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसकी श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.7(418)/A&F/Sec.-II/2025-26/D-59 Dated 17-04-2025 द्वारा राषि रू. 60.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें ग्राम बिलोदा एवं चन्दनपुरा में माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनो जिलों को जोडने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पुल एवं सड़क निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की जानी है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.स.	राज्य	जिला	तहसील	गांव
1	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	बिलोदा
2	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	चन्दनपुरा

ब्रिज निर्माण हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनो जिलों को जोडने के लिए बिलोदा में माही नदी पर पुल एवं सड़क निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु उपरोक्त तालिका अनुसार ग्रामों का चयन किया गया है।

चयनित संस्था द्वारा ब्रिज निर्माण हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवो में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा ब्रिज निर्माण हेतु प्रस्तावित गांवो भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में समुचित सभा तत्पष्चात् प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधान प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवो में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर परिषद्, नगर पालिका के परामर्ष में की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पुर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवष्यक है।

सर्म्पक सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

सुखवेन्द्र मीणा

कार्यालय अधिषाषी अभियंता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ गढ़ी जिला बांसवाड़ा

मो.न. - 8003949543

मै. मेरियन कंस्ट्रक्षन कम्पनी,

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

मो.न. - 9314506054

.....

समाजिक विषेषज्ञ

आर.के.लूथरा,

संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण,

राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।